

चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानक

विषय-वस्तु की सारणी		
पैराग्रा फ सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	<i>चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)</i>	
1	प्रस्तावना	
2	उद्देश्य	
3	व्याप्ति	
4	एलसीआर की परिभाषा	
5	उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)	
6	एलसीआर की गणना	
7	चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरण	
8	बासल III चलनिधि विवरणियां	
9	एलसीआर प्रकटीकरण मानक	
	परिशिष्ट	
परिशि ष्ट 1	बासल III चलनिधि विवरणियां	
	बीएलआर - 1	
	बीएलआर - 2 निधीयन संकेंद्रण का विवरण	
	बीएलआर - 3 उपलब्ध भाररहित आस्तियों का विवरण	
	बीएलआर - 4 महत्वपूर्ण मुद्रा में एलसीआर का विवरण	
	बीएलआर - 5 चलनिधि पर 'अन्य सूचना' का विवरण	
परिशि ष्ट 2	एलसीआर प्रकटीकरण टेम्पलेट	

चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानक

चलनिधि कवरेज अनुपात

1. प्रस्तावना

1.1 वर्ष 2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) ने अधिक सुदृढ़ बैंकिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमों में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में चलनिधि पर बासल III नियम पाठ - "बासल III : चलनिधि जोखिम मापन, मानक और निगरानी पर अंतर्राष्ट्रीय संरचना" दिसंबर 2010 में जारी किया गया, जिसमें चलनिधि पर वैश्विक विनियामक मानकों का ब्योरा प्रस्तुत किया गया था। बासल समिति द्वारा दो अलग-अलग किंतु पूरक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दो न्यूनतम मानकों, अर्थात् चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) का निर्धारण किया गया।

1.2 यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंकों के पास अत्यधिक दबाव परिदृश्य में टिके रहने के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं, एलसीआर संभावित चलनिधि विघ्नों/खतरों के प्रति बैंकों में अल्पावधि सुदृढ़ता निर्मित करता है। एनएसएफआर दीर्घतर अवधि के लिए लचीलापन बढ़ाता है, जिसमें बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निरंतर आधार पर निधि के अधिक स्थिर स्रोतों से अपने कार्यकलापों को निधि उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त, उक्त दस्तावेज में बैंकों के चलनिधि जोखिम एक्सपोजरों की निगरानी के लिए प्रयोग किए जाने वाले पांच निगरानी साधनों का भी निर्धारण किया गया है।

1.3 दिसंबर 2010 में दस्तावेज जारी करते समय बासल समिति ने मानक और वित्तीय बाजारों, ऋण विस्तार तथा आर्थिक विकास पर उसके प्रभाव की समीक्षा करने के लिए एक सख्त प्रक्रिया बनाई थी। उसके बाद, जनवरी 2013 में बीसीबीएस ने एलसीआर, अर्थात् " बासल III : चलनिधि कवरेज अनुपात तथा चलनिधि जोखिम निगरानी साधनों" पर एक संशोधित दस्तावेज जारी किया, जिसमें एचक्यूएलए और निवल नकद बहिर्प्रवाहों की परिभाषा में संशोधन, मानक के चरणबद्ध रूप से लागू करने (फेज-इन) के लिए एक संशोधित समय-सारणी तथा दबाव के समय

प्रयुक्त होनेवाली चलनिधि आस्तियों के स्टॉक के लिए समिति के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त पाठ शामिल किया गया है। एलसीआर की परिभाषा में परिवर्तन में एचक्यूएलए के रूप में पात्र आस्तियों की श्रेणी में विस्तार तथा दबाव के समय वास्तविक अनुभव को बेहतर प्रतिबिंबित करने हेतु कल्पित अंतर्प्रवाह तथा बहिर्प्रवाह दरों को शामिल किया गया है।

2. उद्देश्य

एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भाररहित एचक्यूएलए का उचित स्तर बनाए रखता है, जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण रूप से विकट चलनिधि दबाव परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस समय-सीमा में अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। चलनिधि आस्तियों का स्टॉक दबाव परिदृश्य में बैंक के कम से कम 30 दिन गुजारा करने के लायक होना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इतने समय में उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

3. व्याप्ति

शुरुआत में, भारतीय बैंकों के लिए एलसीआर और निगरानी साधन केवल पूर्ण बैंक स्तर पर लागू होंगे, अर्थात् शाखाओं के माध्यम से विदेश में परिचालन सहित एकल (stand-alone) आधार पर। तथापि, बैंकों को समेकित स्तर पर भी मानकों को पूर्ण करने के लिए प्रयास करने चाहिए। भारत में शाखाओं के रूप में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों के लिए यह संरचना एकल (stand-alone) आधार पर (अर्थात् केवल भारत में परिचालन के लिए लागू होगी)।

4. एलसीआर की परिभाषा

उच्च गुणवत्तावाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) का स्टॉक _____ \geq 100% अगले 30 कैलेंडर दिनों के दौरान कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह

4.1 दिनांक 01 जनवरी 2015 से बैंकों के लिए एलसीआर अपेक्षा बाध्यकारी होगी; बैंकों के लिए संक्रमणकाल उपलब्ध कराने की दृष्टि से कैलेंडर वर्ष 2015, अर्थात् 01 जनवरी 2015 से यह अपेक्षा न्यूनतम 60% होगी तथा नीचे दी गई समय-सारणी के अनुसार एक समान चरणों में बढ़कर 01 जनवरी 2019 को 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर तक पहुंच जाएगी।

	1 जनवरी 2015	1 जनवरी 2016	1 जनवरी 2017	1 जनवरी 2018	1 जनवरी 2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

तथापि, बैंकों को बेहतर चलनिधि जोखिम प्रबंधन के प्रयास के रूप में ऊपर निर्धारित न्यूनतम से उच्चतर अनुपात हासिल करने के लिए परिश्रम करना चाहिए।

4.2 दिनांक 01 जनवरी 2019 से, अर्थात् जब चरणबद्ध रूप से लागू करने की व्यवस्था पूर्ण हो जाए, एलसीआर निरंतर आधार पर न्यूनतम 100% होना चाहिए (अर्थात् एचक्यूएलए का स्टॉक कम से कम कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह के बराबर होना चाहिए), क्योंकि भाररहित एचक्यूएलए के स्टॉक का उद्देश्य चलनिधि दबाव के संभाव्य हमले के विरुद्ध सुरक्षा का कार्य करना है। तथापि, वित्तीय दबाव की अवधि के दौरान बैंक अपने एचक्यूएलए स्टॉक का प्रयोग कर सकते हैं और इस कारण स्टॉक 100% से नीचे गिर सकता है। बैंकों को एचक्यूएलए के इस प्रकार प्रयोग और इसके कारणों तथा स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों की रिपोर्ट तत्काल भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को करनी चाहिए।

4.3 बीसीबीएस द्वारा एलसीआर के लिए विनिर्दिष्ट दबाव परिदृश्य में ऐसे अनेक आघात शामिल हैं, जो 2007 में प्रारंभ हुए संकट के दौरान अनुभव किए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण दबाव परिदृश्य होगा, जिनके लिए 30 कैलेंडर दिनों तक गुजारा करने के लिए बैंक को पर्याप्त चलनिधि हाथ में रखने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, इस परिदृश्य में एक विशिष्ट और बजार-व्यापी आघात की परिकल्पना की गई है, जिसका परिणाम होगा :

- क) फुटकर जमाराशियों का एक भाग निकल जाना;
- ख) गैर-जमानती थोक निधीयन क्षमता में आंशिक हानि;
- ग) कतिपय संपार्श्विक और प्रतिपक्षकारों के साथ जमानती, अल्पकालीन निधीयन में आंशिक हानि;
- घ) बैंक की सार्वजनिक क्रेडिट रेटिंग में तीन स्तरों की गिरावट के कारण उत्पन्न अतिरिक्त संविदात्मक बहिर्प्रवाह तथा अतिरिक्त संपार्श्विककी अपेक्षा;
- ङ) बाजार के उतार-चढ़ावों में वृद्धि, जो संपार्श्विक या व्युत्पन्नी स्थितियों के संभाव्य भावी एक्सपोजर की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे और इसलिए अधिक बड़े संपार्श्विक हेयरकट

या अतिरिक्त संपार्श्विक की आवश्यकता अथवा अन्य चलनिधि आवश्यकताओं की ओर अग्रसर होना;

च) बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई प्रतिबद्ध किंतु अप्रयुक्त ऋण और चलनिधि सुविधाओं का अनियत आहरण; तथा

छ) बैंक के लिए प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम कम करने की दृष्टि से ऋण की वापसी खरीद या गैर-संविदात्मक दायित्वों को निभाने की संभाव्य आवश्यकता।

5. उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां

5.1 चलनिधि आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां समाविष्ट हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के दबाव परिदृश्यों में निधियां प्राप्त करने के लिए आसानी से बेचा या संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें भाररहित होना चाहिए, अर्थात् विधिक, विनियामक अथवा परिचालनगत बाधाओं से रहित होना चाहिए। यदि आस्तियों को मूल्य की कम या बिल्कुल हानि के बिना आसानी से और तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सके, तो आस्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां माना जाता है। किसी आस्ति की तरलता अंतर्निहित दबाव परिदृश्य, मुद्रीकरण की जाने वाली राशि तथा समयावधि पर निर्भर करेगी। फिर भी, ऐसी कुछ आस्तियां हैं, जिनके द्वारा दबाव के समय में फायर-सेल के कारण भारी छूट देने के बाद भी निधि जुटाए जाने की संभावना है।

5.2 इन आस्तियों की मूलभूत विशेषताओं में निम्न ऋण और बाजार जोखिम; मूल्यांकन में आसानी और निश्चितता; जोखिमपूर्ण आस्तियों के साथ कम सहसंबंध तथा विकसित और मान्यता प्राप्त विनिमय बाजार में सूचीबद्ध होना, बाजार संबंधी विशेषताओं में सक्रिय और काफी बड़ा बाजार; प्रतिबद्ध बाजार निर्माताओं की उपस्थिति; कम बाजार संकेंद्रीकरण तथा गुणवत्ता की ओर उड़ान (प्रणालीगत संकट में इस प्रकार की आस्तियों की ओर रुझान) शामिल है।

5.3 आस्तियों की ऐसी दो श्रेणियां हैं, जिन्हें एचक्यूएलए के स्टॉक में शामिल किया जा सकता है, अर्थात् स्तर 1 और स्तर 2 आस्तियां। स्तर 2 आस्तियों को उनकी कीमतों में अस्थिरता के आधार पर स्तर 2ए और स्तर 2बी में उप-विभाजित किया गया है। प्रत्येक श्रेणी में शामिल की जाने वाली आस्तियां ऐसी आस्तियां हैं, जिन्हें बैंक ने दबाव अवधि के पहले दिन से धारण किया है।

5.4 बैंक की स्तर 1 आस्तियों में निम्नलिखित शामिल है तथा इन आस्तियों को बिना किसी सीमा के और बिना कोई हेयरकट लागू किए चलनिधि आस्तियों के स्टॉक में शामिल किया जा सकता है:

- i. अपेक्षित सीआरआर से अधिक नकद आरक्षित निधियों सहित नकद।
- ii. न्यूनतम एसएलआर अपेक्षाओं से आधिक्य में सरकारी प्रतिभूतियां।
- iii. अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएफएस) के अंतर्गत अनुमत सीमा¹ तक सरकारी प्रतिभूतियां।
- iv. विदेशी सरकारों² द्वारा जारी या गारंटीकृत बाजारयोग्य प्रतिभूतियां, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती हैं।

(क) ऋण जोखिम के लिए बासल II मानकीकृत पद्धति से 0% जोखिम भार लगाया गया हो;

(ख) संकेंद्रीकरण के निम्न स्तर की विशेषता वाले बड़े, गहरे और सक्रिय रेपो अथवा नकद बाजारों में सौदा किया गया हो; तथा दबावपूर्ण बाजार परिस्थितियों के दौरान भी बाजार में चलनिधि के भरोसेमंद स्रोत के रूप में प्रमाणित रिकॉर्ड हो।

(ग) किसी बैंक/वित्तीय संस्था/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था अथवा उसकी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किया गया हो।

5.5 स्तर 2 आस्तियों (स्तर 2ए और स्तर 2 बी आस्तियों को शामिल करते हुए) को इस अपेक्षा के अधीन चलनिधि आस्तियों के स्टॉक में शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि उसमें हेयरकट लागू करने के बाद एचक्यूएलए के समग्र स्टॉक के 40% से अधिक समाविष्ट न हो। बैंक द्वारा धारित स्तर 2 आस्तियों का संविभाग आस्तियों के प्रकार, जारीकर्ताओं के प्रकार तथा विनिर्दिष्ट प्रतिपक्षकार या जारीकर्ता के अनुसार विविधतापूर्ण होना चाहिए। स्तर 2ए और स्तर 2बी आस्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

¹ निवल मांग और मीयादी देयताओं के 2 प्रतिशत सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जा सकता है, अर्थात् वर्तमान में एमएसएफ के अधीन अनुमत।

² 'बासल III पूंजी विनियमावली' पर 01 जुलाई 2013 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.3.1 के अनुसार इन प्रतिभूतियों में केवल वे बाजारयोग्य प्रतिभूतियां शामिल की जाएंगी, जिन पर 0% जोखिम भार है। ऐसे मामलों में जहां किसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा किसी विदेशी संप्रभु को गैर 0% जोखिम भार दिया गया हो, किंतु बासल II संरचना के अंतर्गत राष्ट्रीय विवेक से 0% जोखिम भार दिया गया हो, उस विदेशी सरकार द्वारा जारी या गारंटीकृत बिक्रीयोग्य प्रतिभूतियों को उसके देशी क्षेत्राधिकार के भीतर उस सीमा तक अनुमति दी जाएगी, जहां बैंक की चलनिधि जोखिम ली जा रही है, उस क्षेत्राधिकार में बैंक के परिचालनों से उत्पन्न विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में वे प्रतिभूतियां जिस सीमा तक बैंक के निवल नकद बहिर्प्रवाह को कवर करती हैं।

(क) स्तर 2ए आस्तियां

स्टॉक में धारित प्रत्येक स्तर 2ए आस्तियों के वर्तमान बाजार मूल्य में न्यूनतम 15% हेयरकट लगाया जाना चाहिए। स्तर 2ए आस्तियां निम्नलिखित तक सीमित हैं:

- i. सरकारों, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं (पीएसई) या बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा गारंटीकृत दावे वाली बिक्रीयोग्य प्रतिभूतियां, जिन पर बासल II मानकीकृत विधि के अंतर्गत ऋण जोखिम पर 20% जोखिम भार लगाया गया हो और बशर्ते कि उन्हें किसी बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी अथवा इनकी किसी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किया गया हो।
- ii. किसी बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी अथवा इनकी किसी संबद्ध हस्तियों द्वारा जारी न किए गए कॉर्पोरेट बांड³ जिन्हें पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी⁴ द्वारा एए-⁵ या उससे ऊपर की रेटिंग दी गई है।
- iii. वाणिज्यिक पत्र³ जिन्हें बैंक/पीडी/वित्तीय संस्था अथवा इनसे संबद्ध किसी भी हस्ती द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिनकी अल्पकालिक रेटिंग किसी पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई एए-⁴ या उससे ऊपर दीर्घकालिक रेटिंग के बराबर हो⁶।

(ख) स्तर 2बी आस्तियां

स्टॉक में धारित प्रत्येक स्तर 2बी आस्तियों के वर्तमान बाजार मूल्य में न्यूनतम 50% हेयरकट लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, स्तर 2बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें समग्र स्तर 2 आस्तियों के भीतर भी शामिल किया जाना चाहिए। स्तर 2बी आस्तियां निम्नलिखित तक सीमित हैं:

³ इस संबंध में कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों (वाणिज्यिक पेपर सहित) में केवल सादी (प्लेन वनीला) आस्तियां शामिल होंगी, जिनका मानक पद्धतियों पर आधारित मूल्यांकन आसानी से उपलब्ध है और निजी ज्ञान पर निर्भर नहीं है, अर्थात् इनमें जटिल संरचनावाले उत्पाद अथवा गौण ऋण शामिल नहीं हैं।

⁴ दो या अधिक पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग में अंतर के मामले में बैंक बासल III पूंजी विनियमावली पर 01 जुलाई 2013 के मास्टर परिपत्र के पैरा 6.7 से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

⁵ जैसाकि बासल III - पूंजी विनियमावली पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है।

³ इस संबंध में कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों (वाणिज्यिक पेपर सहित) में केवल सादी (प्लेन वनीला) आस्तियां शामिल होंगी, जिनका मानक पद्धतियों पर आधारित मूल्यांकन आसानी से उपलब्ध है और निजी ज्ञान पर निर्भर नहीं है, अर्थात् इनमें जटिल संरचनावाले उत्पाद अथवा गौण ऋण शामिल नहीं हैं।

⁴ दो या अधिक पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग में अंतर के मामले में बैंक बासल III पूंजी विनियमावली पर 01 जुलाई 2013 के मास्टर परिपत्र के पैरा 6.7 से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

⁶ जैसाकि 'वाणिज्यिक पेपर जारी करने के लिए दिशानिर्देश' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है।

- i. सरकारों द्वारा दावों या सरकारों द्वारा गारंटीकृत दावों वाली बिक्रीयोग्य प्रतिभूतियां, जिन पर 20% से अधिक किंतु 50% से अधिक नहीं जोखिम भार लगाया गया है, अर्थात् बासल III - पूंजी विनियमावली पर हमारे मास्टर परिपत्र के अनुसार उनकी क्रेडिट रेटिंग बीबीबी से कम नहीं होनी चाहिए।
- ii. सामान्य इक्विटी शेयर, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं:

- क) किसी बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी अथवा इनसे संबद्ध संस्था द्वारा जारी न किए गए हों।
- ख) एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक तथा/अथवा एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल हों।

5.6 बैंक द्वारा चलनिधि आस्तियों के स्टॉक की सभी आस्तियों का प्रबंध उस समूह के एक भाग के रूप में किया जाना चाहिए तथा यह निम्नलिखित परिचालनगत अपेक्षाओं के अधीन होगा:

- इसे नकद में परिवर्तन के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए,
- इसे भाररहित होना चाहिए,
- इसे ट्रेडिंग पोजीशन में साथ मिलाए जाने/बचाव के रूप में प्रयोग करने; संरचित लेनदेनों में संपार्श्विक या ऋण में वृद्धि के लिए निर्दिष्ट करने; परिचालनगत लागत की पूर्ति के लिए निर्दिष्ट नहीं करना चाहिए,
- इसे आकस्मिक निधियों के स्रोत के रूप में प्रयोग के एकमात्र उद्देश्य से प्रबंध किया जाना चाहिए,
- इसे विनिर्दिष्ट कार्यों के नियंत्रणाधीन होना चाहिए/बैंक की चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए प्रभारित होना चाहिए, जैसे : अल्को (ALCO)।

5.7 बैंकों को आवधिक रूप से रेपो अथवा तुरंत बिक्री द्वारा आस्तियों के एक भाग का मुद्राकरण करना चाहिए, ताकि इन आस्तियों की बिक्री योग्यता की जांच हो सके तथा दबाव की अवधि के दौरान नकारात्मक संकेतों के जोखिम को कम किया जा सके। बैंकों से यह भी आशा की जाती है कि वे अपनी चलनिधि आवश्यकताओं के वितरण के अनुरूप अपनी चलनिधि आस्तियां मुद्रावार रखें।

5.8 यदि कोई पात्र चलनिधि आस्ति अपात्र हो जाती है (जैसे: दर्जा घटने के कारण), तो बैंकों को स्टॉक समायोजन करने/आस्ति को बदलने के लिए पर्याप्त समय देने की दृष्टि से उक्त आस्ति को अतिरिक्त 30 कैलेंडर दिनों के लिए अपने चलनिधि आस्तियों के स्टॉक में रखने की अनुमति दी गई है।

6. एलसीआर की गणना

6.1 जैसा कि एलसीआर की परिभाषा में कहा गया है, यह दो कारकों जैसे एचक्यूएलए का स्टॉक और निवल नकद बहिर्प्रवाह का अगले 30 कैलेंडर दिनों का अनुपात है। अतएव, बैंक के एलसीआर की गणना में अनुपात के न्यूमरेटर और डिनामिनेटर की गणना अपेक्षित होगी, जिसका ब्योरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

Stock of HQLA = Level 1 + Level 2A + Level 2B - Adjustment for 15% cap -
Adjustment for 40% cap

Where:

Adjustment for 15% cap = Max [{2B - 15/85*(Adjusted Level 1 + Adjusted Level 2A)},

{Level 2 B - 15/60* Adjusted Level 1}] 0]

Adjustment for 40% cap = Max {(Adjusted Level 2A + Level 2B - Adjustment for 15% cap - 2/3* Adjusted Level 1 assets), 0}

6.3 एचक्यूएलए के स्टॉक की गणना के लिए समायोजित स्तर 1 और स्तर 2 आस्तियों की गणना करना अपेक्षित है। जैसा कि ऊपर पैरा 5.5 में बताया गया है, स्तर 2 आस्तियां हेयरकट लगाने के बाद चलनिधि आस्तियों के समग्र स्टॉक के 40% से अधिक नहीं हो सकती हैं तथा स्तर 2बी आस्तियां हेयरकट लगाने के बाद एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं हो सकती हैं। तथापि, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, जहां निम्नतर स्तर में वर्गीकृत आस्तियां अस्थायी रूप से उच्चतर स्तर में वर्गीकृत आस्तियों में परिवर्तित हो जाएं या इसके विपरीत हो (उदा. कॉर्पोरेट बांड, जो स्तर 2 आस्ति है, उसके रेपो/रिवर्स रेपो के द्वारा नकद, स्तर 1 आस्ति का उधार लेना/ देना)। अतएव, स्तर 2 आस्तियों पर 40% की अधिकतम सीमा तथा स्तर 2बी आस्तियों पर 15% की अधिकतम सीमा की गणना करते समय एचक्यूएलए के स्टॉक के विशिष्ट स्तर में वर्गीकृत किए जाने के लिए ऐसे प्रतिभूत निधीयन लेनदेनों के प्रभाव को भी

हिसाब में लेना चाहिए। स्तर 1 और स्तर 2 के अंतर्गत एचक्यूएलए की पात्र राशियों की गणना करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए रेपो के लिए पात्र स्तर 2 आस्तियों में 30 दिन की अवधि के दौरान किए गए किसी रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन की प्रतिप्रविष्टि करना, अर्थात् समायोजित करना आवश्यक है। वर्तमान में केवल कॉर्पोरेट बांड ही ऐसी स्तर 2 आस्तियां हैं, जहां रेपो की अनुमति है। अपेक्षित समायोजन नीचे दर्शाए गए हैं :

क्र. सं.	ब्योरा	राशि	कारक	समायोजित राशि (राशि*कारक)
1	कुल स्तर 1 आस्तियां		100%	
2	अपेक्षित समायोजन :			
	(i) जोड़ें : कॉर्पोरेट बांड में 30 दिन तक की अवधि के दौरान किए गए कॉर्पोरेट बांड में रिवर्स रेपो के अंतर्गत उधार दी गई राशि (ये स्तर 2 आस्तियों के लिए पात्र हैं या नहीं, इस पर ध्यान न देते हुए)		100%	
	(ii) घटाएं : कॉर्पोरेट बांड में 30 दिन तक की अवधि में रेपो लेनदेन के अंतर्गत उधार ली गई राशि (ये स्तर 2 आस्तियों के लिए पात्र हैं या नहीं, इस पर ध्यान न देते हुए)		100%	
3	कुल समायोजित स्तर 1 आस्तियां {1 + 2 (i) - 2(ii)}			

अतएव, कॉर्पोरेट बांड पर 30 दिन तक उधार दिए गए नकद की राशि (रिवर्स रेपो) को वापिस जोड़कर तथा उधार लिए गए नकद की राशि (रेपो) को घटा कर समायोजित स्तर 1 आस्तियां प्राप्त की जाती हैं।

6.4 इसी प्रकार, स्तर 2ए आस्तियों में भी निम्नलिखित समायोजन अपेक्षित हैं:

क्र. सं.	ब्योरे	राशि	कारक	समायोजित राशि (राशि*कारक)
----------	--------	------	------	---------------------------

1	कुल स्तर 2 आस्तियां		85%	
2	अपेक्षित समायोजन :			
	(i) जोड़ें : 30 दिन तक की अवधि में किए गए रेपो लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखे गए स्तर 2ए कॉर्पोरेट बांड का बाजार मूल्य।		85%	
	(ii) घटाएं : 30 दिन तक की अवधि में किए गए रिवर्स रेपो लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त स्तर 2ए प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य।		85%	
3	कुल समायोजित स्तर 2ए आस्तियां {1 + 2 (i) - 2(ii)}			

अतएव, संपार्श्विक के रूप में रखी गई स्तर 2ए प्रतिभूतियों (15% हेयरकट लगाने के बाद) की राशि जोड़ने के बाद तथा प्राप्त स्तर 2ए प्रतिभूतियों की राशि (15% हेयरकट लगाने के बाद) घटाने के बाद समायोजित स्तर 2ए तक आस्तियां प्राप्त की जाती हैं।

6.5 चूंकि स्तर 2बी आस्तियों में कॉर्पोरेट बांड जैसी कोई रेपो योग्य प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं, इसलिए समायोजित स्तर 2बी आस्तियां असमायोजित स्तर 2बी आस्तियों के बराबर ही होंगी।

6.6 बैंकों के एचक्यूएलए स्टॉक में समायोजित स्तर 2 आस्तियों की अधिकतम राशि स्तर 1 आस्तियों की हेयरकट लगाने के बाद समायोजित राशि की दो-तिहाई राशि के बराबर होगी। समायोजित स्तर 1 आस्तियों के दो-तिहाई से अधिक किसी भी समायोजित स्तर 2 आस्तियों को चलनिधि आस्तियों के स्टॉक में से घटाना होगा। एचक्यूएलए स्टॉक में स्तर 2बी आस्तियों की अधिकतम राशि स्तर 1 तथा स्तर 2ए आस्तियों के योग की समायोजित राशियों के 15/85 तथा स्तर 1 आस्तियों की समायोजित राशियों के अधिकतम एक चौथाई राशि के बराबर होगी। ये दोनों स्थितियों में ऐसा हेयरकट लगाने के बाद होगा। यदि कोई स्तर 2बी आस्तियां इन सीमाओं से अधिक हों, तो उन्हें एचक्यूएलए के स्टॉक से घटाया जाना चाहिए।

6.7 कुल निवल नकद बहिर्प्रवाहों की गणना

6.7.1 कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकद बहिर्प्रवाह में से कुल अपेक्षित नकद अंतर्प्रवाह को घटाए जाने के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल अपेक्षित नकद बहिर्प्रवाह की गणना देयताओं की विभिन्न श्रेणियों अथवा प्रकारों के बकाया शेषों तथा तुलनपत्रेतर प्रतिबद्धताओं को उन दरों से गुणा करके की जाती है, जिन पर उनका रन आफ या ड्रॉ डाउन होना अपेक्षित है। कुल अपेक्षित नकद अंतर्प्रवाहों की गणना संविदात्मक प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेषों को उन दरों से गुणा करके की जाती है, जिन पर उनका अंतर्प्रवाह अपेक्षित है और यह कुल अपेक्षित नकद अंतर्प्रवाह के 75% की कुल अधिकतम सीमा तक होगा। दूसरे शब्दों में, अगले 30 दिन में कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह = बहिर्प्रवाह - न्यूनतम (अंतर्प्रवाह; बहिर्प्रवाह का 75%)। आस्तियों (अंतर्प्रवाह) और देयताओं(बहिर्प्रवाह) की विभिन्न मदों के साथ उनकी संबंधित रन ऑफ दरें और अंतर्प्रवाह दरें इस संरचना के परिशिष्ट I में बासल III चलनिधि विवरणी 1 (बीएलआर 1) के फॉर्मेट में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

6.7.2 बैंकों को मदों को दो बार गिनने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उदाहरणार्थ यदि किसी आस्ति को 'एचक्यूएलए के स्टॉक' (अर्थात् गणक) के भाग के रूप में शामिल किया गया हो, तो संबद्ध नकद अंतर्प्रवाहों को नकद अंतर्प्रवाहों (अर्थात् denominator) के रूप में भी नहीं गिना जा सकता। जहां ऐसी संभावना हो कि कोई मद विविध बहिर्प्रवाह श्रेणियों में गिनी जा सकती है (उदाहरणार्थ 30 कैलेंडर दिवस अवधि के भीतर परिपक्व होने वाले ऋणों को कवर करने के लिए प्रदान की गई प्रतिबद्ध चलनिधि सुविधाएं), तो बैंक को उस उत्पाद के लिए केवल अधिकतम संविदात्मक बहिर्प्रवाह तक कल्पित करना चाहिए।

7. चलनिधि जोखिम निगरानी साधन

7.1 बैंकों की चलनिधि स्थिति की बेहतर निगरानी करने के लिए बासल III संरचना में दो चलनिधि मानकों के अतिरिक्त पांच निगरानी साधन/मैट्रिक्स निर्धारित किए गए हैं। इनमें से कुछ निगरानी साधन पहले से ही बैंकों की चलनिधि स्थिति पर विभिन्न विनियामक विवरणियों के रूप में प्रयोग में हैं। बासल III चलनिधि संरचना के अंतर्गत कुछ नई विवरणियां निर्धारित की गई हैं। इन मैट्रिक्स का उनके उद्देश्य और निर्धारित विवरणियों के साथ नीचे वर्णन किया गया है:

(क) संविदात्मक परिपक्वता असंतुलन

- i. संविदात्मक परिपक्वता असंतुलन प्रोफाइल में परिभाषित समय अवधियों में चलनिधि के संविदात्मक अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह के बीच के अंतर की पहचान की जाती है। ये परिपक्वता अंतर यह दर्शाते हैं कि इनमें से प्रत्येक समयावधि में बैंक को संभावित रूप से कितनी चलनिधि जुटाने की आवश्यकता होगी, यदि सभी बहिर्प्रवाह शीघ्रतम संभव तारीख को ही हो जाएं। बैंक किस सीमा तक अपनी वर्तमान संविदाओं के अंतर्गत परिपक्वता रूपांतरण पर निर्भर रहते हैं इसका ज्ञान यह गणित उपलब्ध कराता है।
- ii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संविदात्मक परिपक्वता असंतुलन के विश्लेषण के लिए बासल III के अंतर्गत कोई नयी विवरणी निर्धारित नहीं की गई है। संरचनात्मक चलनिधि⁷ पर मौजूदा विवरण, जिसमें आस्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों के अंतर्प्रवाहों और बहिर्प्रवाहों के बीच अंतर दर्शाया जाता है, का प्रयोग इस गणित को दर्शाने के लिए जारी रहेगा।

(ख) निधीयन का संकेंद्रीकरण

- i. इस मीट्रिक्स का उद्देश्य ऐसे महत्वपूर्ण निधीयन स्रोतों की पहचान करना है, जिन्हें वापिस लेने से चलनिधि समस्याओं की शुरुआत हो सकती है। इसलिए यह मीट्रिक बासल समिति के सुदृढ़ सिद्धांतों की सिफारिश के अनुसार निधीयन स्रोतों के विविधीकरण को प्रोत्साहन देता है। यह मीट्रिक्स प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार के निधीयन, प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद/लिखत तथा प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा की निगरानी के माध्यम से बैंकों के निधीयन संकेंद्रीकरण को हल करने की दिशा में कार्य करता है।
- ii. वर्तमान में भारत में बैंकों का निधीयन संकेंद्रीकरण अंतर बैंक देयता⁸ और कॉल-उधार⁹ पर लागू विनियामक सीमाओं के अधीन सीमित है। ये विनियामक सीमाएं बनी रहेंगी। उसके अतिरिक्त, बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे परिशिष्ट I में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार निधीयन संकेंद्रीकरण का विवरण (बीएलआर-2) भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें, जिसमें मासिक आधार पर महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों से निधि का स्रोत, महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद तथा प्रतिभूतीकरण के माध्यम से निधीयन के ब्योरों का वर्णन होगा। जहां तक मुद्रा संकेंद्रीकरण जोखिम का संबंध है, उसे संरचनात्मक चलनिधि का विवरण¹⁰ विदेशी मुद्रा - भारतीय परिचालन - चलनिधि विवरणी 1- भाग क 2 में दर्शाया जाएगा,

⁷ 'बैंकों द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन' पर दिनांक 07 नवंबर 2012 का परिपत्र बैंपवि. बीपी. सं. 56/21.04.098/2012-13

⁸ 'अंतर बैंक देयताओं (आईबीएल) के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं' विषय पर 6 मार्च 2007 का परिपत्र बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 66/21.01.002/2006-07

⁹ कॉल/नोटिस मनी मार्केट परिचालन पर दिनांक 1 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र

¹⁰ 'बैंकों द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन' पर दिनांक 7 नवंबर 2012 का परिपत्र बैंपवि. बीपी. सं. 56/21.04.098/2012-13

जिसमें बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्रमुख/महत्वपूर्ण मुद्राओं में अपनी आस्तियां और देयताएं तथा कुल अंतर सीमा पर सूचना प्रस्तुत करें।

(ग) उपलब्ध भार-रहित आस्तियां

- i. यह मीट्रिक पर्यवेक्षकों को बैंक की उपलब्ध भार-रहित आस्तियों की मात्रा और मुख्य विशेषताओं पर डेटा उपलब्ध कराता है। इन आस्तियों में यह सामर्थ्य है कि इन्हें अतिरिक्त प्रतिभूत निधीयन जुटाने के लिए द्वितीयक बाजार में संपार्श्विक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।
- ii. अब इस मीट्रिक के प्रयोजन से परिशिष्ट I में दिए गए उपलब्ध भार-रहित आस्तियों का विवरण (बीएलआर-3) निर्धारित किया गया है। यह उपलब्ध भार-रहित आस्तियों की राशि, प्रकार और स्थान का ब्योरा दर्शाता है जो द्वितीयक बाजारों में प्रतिभूत उधार के लिए संपार्श्विक का कार्य करेगा तथा/अथवा जो भारतीय रिज़र्व बैंक/केंद्रीय बैंकों से उधार लेने के लिए पात्र हैं। इस विवरणी की रिपोर्टिंग अवधि त्रैमासिक होगी।

(घ) महत्वपूर्ण मुद्रा में एलसीआर

- i. यद्यपि एक एकल मुद्रा में एलसीआर मानक पूर्ण करना अपेक्षित है, फिर भी संभावित मुद्रा असंतुलन को बेहतर ढंग से ग्रहण करने के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा में एलसीआर की निगरानी करना आवश्यक है।
- ii. तदनुसार, परिशिष्ट I में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण मुद्राओं में एलसीआर पर विवरण (बीएलआर-4) मासिक आधार पर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ड.) बाजार संबंधी निगरानी साधन

- i. इसमें उच्च आवृत्ति वाला ऐसा बाजार डेटा शामिल है, जो बैंकों में संभाव्य चलनिधि कठिनाइयों की निगरानी में पूर्व चेतावनी संकेतक का कार्य कर सकता है।
- ii. इस मीट्रिक का पता लगाने हेतु चलनिधि पर अन्य सूचना का विवरण (बीएलआर-5) निर्धारित किया गया है, जिसमें बैंकों से अपेक्षित है कि वे मासिक आधार पर अपनी इक्विटी कीमतों (यदि सूचीबद्ध हों) तथा ब्याज दरों, जिन पर उनके द्वारा दीर्घावधिक बांड और जमा प्रमाण पत्र (सीडी) जारी किए जाते हैं की कीमतों के उतार-चढ़ाव को रिपोर्ट करें। इसमें विनियामक चलनिधि अपेक्षाओं के उल्लंघन/दंड के संबंध में सूचना भी शामिल है।

8. बासल III चलनिधि विवरणियां

ऊपर उल्लिखित विवरणियों और उनकी प्रस्तुति की अवधि का सारांश नीचे दिया गया है। बैंकों से अपेक्षित है कि वे उक्त विवरणियां सितंबर 2014 को समाप्त माह/तिमाही से प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	बासल III चलनिधि विवरणी (बीएलआर) का नाम	प्रस्तुति की अवधि	समयावधि, जिसमें रिपोर्ट करना अपेक्षित है
1.	चलनिधि कवरेज अनुपात का विवरण (एलसीआर)- बीएलआर-1	मासिक	15 दिन के भीतर
2.	निधीयन संकेंद्रीकरण का विवरण - बीएलआर-2	मासिक	15 दिन के भीतर
3.	उपलब्ध भारमुक्त आस्तियों का विवरण - बीएलआर-3	त्रैमासिक	एक माह के भीतर
4.	महत्वपूर्ण मुद्रा द्वारा एलसीआर - बीएलआर-4	त्रैमासिक	एक माह के भीतर
5.	चलनिधि पर अन्य सूचना का विवरण	मासिक	15 दिन के भीतर

9. एलसीआर प्रकटीकरण मानक

9.1 बैंकों से अपेक्षित है कि वे 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में लेखे पर टिप्पणियां के अंतर्गत अपने एलसीआर पर सूचना के प्रकटीकरण की शुरुआत करें, जिसके लिए केवल 31 मार्च 2015 को समाप्त तिमाही के लिए एलसीआर संबंधी सूचना दी जानी है। तथापि, उसके बाद के वार्षिक वित्तीय विवरणों में इस प्रकटीकरण में संबंधित वित्त वर्ष की सभी चार तिमाहियों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रकटीकरण का फॉर्मेट परिशिष्ट II में दिया गया है।

9.2 डेटा को पिछली तिमाही के मासिक अवलोकनों के सरल औसतों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए (अर्थात् औसत की गणना 90 दिन की अवधि में की जाए)। तथापि, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष से इस साधारण औसत की गणना दैनिक अवलोकनों पर की जाए।

9.3 डेटा की अधिकांश मदों के लिए एलसीआर घटकों के अभारित और भारित, दोनों मूल्यों का प्रकटीकरण करना चाहिए, जैसा कि प्रकटीकरण फॉर्मेट में दिया गया है। अंतर्प्रवाहों तथा बहिर्प्रवाहों के अभारित मूल्य की गणना देयताओं की विभिन्न श्रेणियों या प्रकारों के बकाया शेष, तुलनपत्रेतर

मर्दे या संविदात्मक प्राप्य राशियों के रूप में की जानी चाहिए। एचक्यूएलए के 'भारित' मूल्य की गणना हेयरकट लगाने के बाद मूल्य के रूप में की जानी चाहिए। कुल एचक्यूएलए तथा निवल नकद बहिर्प्रवाहों का प्रकटन समायोजित मूल्य के रूप में किया जाना चाहिए, जहां एचक्यूएलए का 'समायोजित' मूल्य हेयरकट तथा इस संरचना में बताई गई स्तर 2बी एवं स्तर 2 आस्तियों पर लागू किन्हीं अधिकतम सीमाओं, दोनों को लागू करने के बाद एचक्यूएलए के कुल मूल्य है। निवल नकद बहिर्प्रवाहों के समायोजित मूल्य की गणना अंतर्प्रवाहों पर अधिकतम सीमा, यदि लागू हो, लगाने के बाद की जाएगी।

9.4 परिशिष्ट में दिए गए फॉर्मेट द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरणों के अतिरिक्त बैंकों को एलसीआर के बारे में पर्याप्त गुणात्मक चर्चा भी उपलब्ध करानी चाहिए (अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में लेखे पर टिप्पणियों के अंतर्गत) ताकि उपलब्ध कराए गए परिणामों और डेटा को समझने में सुविधा हो। उदाहरणार्थ, जहां एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण हो, बैंक निम्नलिखित पर चर्चा कर सकते हैं :

- (क) उनके एलसीआर परिणामों के मुख्य चालक तथा लंबे समय के दौरान एलसीआर की गणना में इन्पुट्स के योगदान का विकास;
- (ख) अंतर-अवधि परिवर्तन तथा लंबे समय में परिवर्तन;
- (ग) एचक्यूएलए की बनावट;
- (घ) निधीयन स्रोतों का संकेंद्रीकरण;
- (ङ.) व्युत्पन्नी एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉल्स;
- (च) एलसीआर में मुद्रा बेमेल;
- (छ) समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक क्रिया और चलनिधि प्रबंध के केंद्रीकरण की डिग्री मात्रा का वर्णन;
- (ज) एलसीआर गणना में अन्य अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह, जिन्हें एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में नहीं लिया गया है, किंतु संस्था अपनी चलनिधि प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक समझती है।

परिशिष्ट I - बासल III चलनिधि विवरणियां

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर विवरण				
बैंक का नाम				
रिपोर्टिंग की बारंबरता		मासिक		
दिनांक को स्थिति				
			(राशि करोड़ रुपयों में)	
I	II	III	IV	V (III*IV)
पैनल I				
क्र. सं.	उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) ¹			
	स्तर I आस्तियां			
1	हाथ में नकद		100%	
2	अतिरिक्त सीआरआर शेष		100%	
3	न्यूनतम एसएलआर अपेक्षा से आधिक्य में सरकारी प्रतिभूतियां		100%	
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एमएसएफ के अधीन अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियां (वर्तमान में एमएसएफ के लिए अनुमत एनडीटीएल के 2% की सीमा तक)		100%	
5	विदेशी सरकारों द्वारा जारी या गारंटीकृत बिक्रीयोग्य प्रतिभूतियां जिन पर बासल II मानकीकृत विधि के अनुसार 0% जोखिम भार है (देश-वार ब्योरा मेमो मद सं. 1 के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाए)		100%	
6	कुल स्तर I आस्तियां (1+2+3+4+5)			
7	जोड़ें: कार्पोरेट बांड में 30 दिन तक की अवधि में रिवर्स रेपो लेनदेन के अधीन उधार दी गई राशि (वे स्तर 2 आस्तियों के लिए पात्र हैं या नहीं, इस पर ध्यान न देते हुए)		100%	
8	घटाएं: कार्पोरेट बांड में 30 दिन तक की अवधि में किए गए रेपो लेनदेन के अंतर्गत उधार ली गई राशि (वे स्तर 2 आस्तियों के लिए पात्र हैं या नहीं, इस पर ध्यान न देते हुए)		100%	
9	कुल समायोजित स्तर I आस्तियां (6+7-8)			
	स्तर 2 आस्तियां			

¹ इस विवरण में शामिल एचक्यूएलए को परिपत्र में निर्धारित सभी संबंधित मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

	स्तर 2ए आस्तियां		
10	सरकारों, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं या बहुमुखी विकास बैंकों के दावे अथवा उनके द्वारा गारंटीकृत दावे दर्शाने वाली बिक्री योग्य प्रतिभूतियां, जिन पर बासल II मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत ऋण जोखिम पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लगाया गया है, बशर्ते उन्हें किसी बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या उनकी किसी संबद्ध संस्था द्वारा जारी न किया गया हो। (मेमो मद सं.2 के अंतर्गत जारीकर्ता-वार ब्योरा उपलब्ध कराया जाए)		85%
11	कॉर्पोरेट बांड, जिन्हें किसी बैंक/ वित्तीय संस्था/ एनबीएफसी या उनकी किसी संबद्ध संस्था द्वारा जारी न किया गया हो, जिन्हें किसी पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा एए- या उससे ऊपर रेटिंग दी गई हो।		85%
12	वाणिज्यिक पत्र, जिन्हें किसी बैंक/ वित्तीय संस्था/ एनबीएफसी या उनकी किसी संबद्ध संस्था द्वारा जारी न किया गया हो, जिनके पास किसी पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई दीर्घावधि एए- उससे ऊपर रेटिंग के बराबर अल्पकालिक रेटिंग दी गई हो।		85%
13	कुल स्तर 2ए आस्तियां (10+11+12)		
14	जोड़ें: 30 दिनों की अवधि के लिए किए गए रेपो लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखे गए स्तर 2ए कॉर्पोरेट बांडों का बाजार मूल्य		85%
15	घटाएं: 30 दिनों की अवधि के लिए किए गए रिवर्स रेपो लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त स्तर 2ए प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य		85%
16	कुल समायोजित स्तर 2ए आस्तियां (13+14-15)		
	स्तर 2 बी आस्तियां		
17	सरकारों द्वारा किए गए अथवा गारंटीकृत बिक्रीयोग्य प्रतिभूतियां, जिनका जोखिम भार 20% से ज्यादा, किंतु 50% से ज्यादा नहीं है।		50%
18	किसी बैंक/ वित्तीय संस्था/एनबीएफसी अथवा उसकी किसी संबद्ध संस्था द्वारा जारी न किए गए तथा एनएसई सीएनएक्स तथा/अथवा एस&पी		50%

	बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में शामिल किए गए सामान्य इक्विटी शेयर			
19	कुल स्तर 2बी आस्तियां (17+18)			
20	<p>एचक्यूएलए का कुल स्टॉक = स्तर 1 + स्तर 2ए + स्तर 2बी - 15% की अधिकतम सीमा के लिए समायोजन - 40% अधिकतम सीमा के लिए समायोजन</p> <p>जहां :</p> <p>15% अधिकतम सीमा के लिए समायोजन = अधिकतम (स्तर 2बी - 15/85* (समायोजित स्तर 1 + समायोजित स्तर 2ए) स्तर 2बी - 15/60* समायोजित स्तर 1, 0)</p> <p>40% अधिकतम सीमा के लिए समायोजन = अधिकतम (समायोजित स्तर 2ए + स्तर 2बी - 15% अधिकतम सीमा के लिए समायोजन) 2/3* समायोजित स्तर 1आस्तियां, 0)</p> <p>[नोट: इस फॉर्मूले के लिए विभिन्न आस्तियों की केवल भारित राशियां ही ली जाएं]</p>			
	पैनल II			
क्र. सं.	30 दिन की अवधि में निवल नकद प्रवाह	अभारित राशि	रन-आफ तत्व	भारित राशि
क	नकद बहिर्प्रवाह			
1	खुदरा जमाराशियां [(i) + (ii)]			
(i)	टिकाऊ जमाराशियां		5%	
(ii)	कम टिकाऊ जमाराशियां		10%	
2	अप्रतिभूत थोक निधीयन [(i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v)]			
(i)	छोटे कारोबारी ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई (30 दिन से कम परिपक्वता) मांग और मीयादी जमाराशियां [(क) + (ख)]			
(क)	टिकाऊ जमाराशियां		5%	
(ख)	कम टिकाऊ जमाराशियां		10%	
(ii)	समाशोधन, अभिरक्षा तथा नकद प्रबंधन कार्यकलापों			

	द्वारा उत्पन्न परिचालनगत जमाराशियां			
(क)	जमा बीमा द्वारा कवर किया गया भाग		5%	
(ख)	जमा बीमा द्वारा कवर न किया गया भाग		25%	
(iii)	वित्तेतर कॉर्पोरेट, सरकारें, केंद्रीय बैंक, बहुमुखी विकास बैंक और पीएसई		40%	
(iv)	अन्य विधिक हस्ती ग्राहकों से निधीयन		100%	
3	प्रतिभूत निधीयन [(i) + (ii) + (iii) + (iv)]:			
(i)	भारिबैंक/केंद्रीय बैंक के साथ प्रतिभूत निधीयन लेनदेन या किसी प्रतिपक्षकार के साथ स्तर 1 आस्तियों द्वारा समर्थित		0%	
(ii)	किसी प्रतिपक्षकार के साथ स्तर 1 आस्तियों द्वारा समर्थित		15%	
(iii)	किसी प्रतिपक्षकार के साथ स्तर 2बी आस्तियों द्वारा समर्थित		50%	
(iv)	कोई अन्य प्रतिभूत निधीयन		100%	
4	अतिरिक्त अपेक्षाएं [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)+(x)+(xi)]			
(i)	निवल व्युत्पन्नी नकद बहिर्प्रवाह		100%	
(ii)	वित्तीय लेनदेन, व्युत्पन्नी तथा अन्य संविदाएं, जहां 3-स्तर गिरावट तक डाउनग्रेड ट्रिगर संबंधित चलनिधि आवश्यकताएं (जैसे संपार्श्विक प्रतिदेयताएं)		100%	
(iii)	व्युत्पन्नी लेनदेनों पर बाजार मूल्य परिवर्तन जो लुक बैंक विधि पर आधारित हो		100%	
(iv)	गैर स्तर 1 पोस्टेड संपार्श्विक प्रतिभूत व्युत्पन्नी पर मूल्यांकन परिवर्तन के लिए संभावना संबंधी बढ़ी हुई चलनिधि आवश्यकताएं		20%	
(v)	बैंकों द्वारा धारित बेशी अपृथक संपार्श्विक , जिसे प्रतिपक्षकार द्वारा किसी भी समय संविदात्मक रूप से कॉल किया जा सकता है, से संबंधित बढ़ी हुई चलनिधि आवश्यकताएं		100%	
(vi)	लेनदेनों पर संविदात्मक रूप से अपेक्षित संपार्श्विक, जिसके लिए प्रतिपक्षकार ने अभी तक संपार्श्विक के पोस्ट होने की मांग नहीं की है, से संबंधित बढ़ी हुई चलनिधि आवश्यकताएं		100%	
(vii)	उन व्युत्पन्नी लेनदेनों से संबंधित बढ़ी हुई चलनिधि आवश्यकताएं, जो गैर-एचक्यूएलए		100%	

	आस्तियों के बदले संपार्श्विक की अनुमति देते हैं			
(viii)	30 दिन की अवधि में परिपक्व होने वाले एबीसीपी, एसआईवी, एसपीवी आदि [(क)+(ख)]			
(क)	परिपक्व होने वाले एबीसीपी, एसआईवी, एसपीवी आदि से देयताएं (परिपक्व होने वाली राशियों और लौटाने योग्य आस्तियों पर लागू)		100%	
(ख)	परिपक्व होने वाली राशियों पर लगाई गई आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां		100%	
(ix)	[(क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)+(च)+(छ)] को उपलब्ध कराई गई वर्तमान में अनाहरित प्रतिबद्ध ऋण और चलनिधि सुविधाएं ²			
(क)	खुदरा और छोटे कारोबारी ग्राहक		5%	
(ख)	वित्तेतर कॉर्पोरेट, सरकारें और केंद्रीय बैंक, बहुमुखी विकास बैंक और पीएसई - ऋण सुविधाएं		10%	
(ग)	वित्तेतर कॉर्पोरेट, सरकारें और केंद्रीय बैंक, बहुमुखी विकास बैंक और पीएसई - चलनिधि सुविधाएं		30%	
(घ)	बैंक		40%	
(ङ.)	अन्य वित्तीय संस्थाएं (प्रतिभूति फर्मा, बीमा कंपनियों सहित) - ऋण सुविधाएं		40%	
(च)	अन्य वित्तीय संस्थाएं (प्रतिभूति फर्मा, बीमा कंपनियों सहित) - चलनिधि सुविधाएं		100%	
(छ)	अन्य विधिक हस्ती ग्राहक		100%	
(x)	अन्य आकस्मिक निधीयन देयताएं [(क)+(ख)+(ग)]			
(क)	गारंटियां, साख-पत्र और व्यापार वित्त		5%	
(ख)	वसूली योग्य ऋण और चलनिधि सुविधाएं		5%	
(ग)	अन्य कोई		5%	
(xi)	इस टेम्पलेट में अन्यत्र नहीं लिए गए अन्य कोई संविदात्मक बहिर्प्रवाह		100%	
ख	कुल नकद बहिर्प्रवाह (1+2+3+4+5+6+7)			
ग	नकद अंतर्प्रवाह ³			
।	निम्नलिखित संपार्श्विक द्वारा समर्थितपरिपक्व			

² बिना शर्त वसूलीयोग्य तथा बिना शर्त निरस्त की जा सकने वाली सुविधाओं को छोड़ कर, जिन्हें क्रम सं. (x) 'अन्य आकस्मिक निधीयन देयताएं' के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

³ बकाया एक्सपोजरों में से बैंकों को केवल ऐसे संविदात्मक अंतर्प्रवाहों को शामिल करना चाहिए, जो पूर्णतः कार्यनिष्पादन कर रहे हैं तथा जिनके लिए बैंक को 30 दिन की समय सीमा में चूक होने का कोई कारण अपेक्षित नहीं है।

	होने वाले प्रिभूत उधार लेनदेन [(i) + (ii) + (iii)]			
(i)	स्तर 1 आस्तियों के साथ		0%	
(ii)	स्तर 2ए आस्तियों के साथ		15%	
(iii)	स्तर 2बी आस्तियों के साथ		50%	
2	सभी अन्य संपार्श्विकों द्वारा समर्थित मार्जिन उधार		50%	
3	अन्य सभी आस्तियां		100%	
4	ऋण की श्रृंखला - ऋण या चलनिधि सुविधाएं या अन्य आकस्मिक निधीयन सुविधाएं जो बैंक अपने स्वयं के प्रयोजनों से अन्य संस्थाओं में धारण करता है		0%	
5	प्रतिपक्षकार द्वारा अन्य अंतर्प्रवाह [(i)+(ii)+(iii)]			
(i)	खुदरा और छोटे कारोबारी प्रतिपक्षकार		50%	
(ii)	ऊपर अंतर्प्रवाह श्रेणियों में सूचीबद्ध लेनदेनों से इतर लेनदेनों के लिए वित्तेतर थोक प्रतिपक्षकारों से प्राप्य राशियां		50%	
(iii)	ऊपर अंतर्प्रवाह श्रेणियों में सूचीबद्ध लेनदेनों से इतर लेनदेनों के लिए वित्तीय संस्थाओं और भारिबैंक/केंद्रीय बैंकों से प्राप्य राशियां		100%	
6	निवल व्युत्पन्नी नकद अंतर्प्रवाह		100%	
7	अन्य संविदात्मक नकद प्रवाह (कृपया फुटनोट के रूप में विनिर्दिष्ट करें)		50%	
घ	कुल नकद अंतर्प्रवाह [1+2+3+4+5+6+7]			
ड.	कुल नकद बहिर्प्रवाह में से कुल नकद अंतर्प्रवाह घटाएं [ख-घ]			
च	कुल नकद बहिर्प्रवाह का 25% [बी*0.25]			
छ	कुल नकद बहिर्प्रवाह का 25% [ड. या च में से उच्चतर]			

चलनिधि कवरेज अनुपात =

उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों का कुल स्टॉक (पैनल 1 की मद 20)*100
= कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह (पैनल 2 में मद छ)

मेमो मद सं. 1

विदेशी सरकारों द्वारा जारी या गारंटीकृत बिक्रीयोग्य प्रतिभूतियां जिन पर 0% जोखिम भार है, जैसा कि ऊपर पैनल 1 के अंतर्गत क्रम सं.5 में रिपोर्ट किया गया है - देश-वार ब्योरा नीचे

उपलब्ध कराया जाए:				
क्र. सं.	देश का नाम			राशि
(i)				
(ii)				
--				
n				
मेमो मद सं. 2				
<p>सरकारों, सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं या बहुमुखी विकास बैंकों के दावे अथवा उनके द्वारा गारंटीकृत दावे दर्शाने वाली बिक्री योग्य प्रतिभूतियां, जिन पर बासल II मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत ऋण जोखिम पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लगाया गया है, बशर्ते उन्हें किसी बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या उनकी किसी संबद्ध संस्था द्वारा जारी न किया गया हो, जैसा कि ऊपर पैनल I के अंतर्गत क्रम सं.10 में रिपोर्ट किया गया है - जारीकर्ता-वार ब्योरा नीचे उपलब्ध कराया जाए:</p>				
क्र. सं.	जारीकर्ता/गारंटीकर्ता का नाम			राशि
2.1	विदेशी संप्रभु (देश का नाम दें)			
(i)				
(ii)				
--				
2.2	सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं (पीएसई)			
(i)				
(ii)				
--				
2.3	एमडीबी, बीआईएस, आईएमएफ			
(i)				
--				
	कुल योग (पैनल I के अंतर्गत पंक्ति 10 में रिपोर्ट किया जाना है)			

स्पष्टीकरण टिप्पणियां :

कुछ मदों से संबंधित नकद अंतर्प्रवाह और नकद बहिर्प्रवाह की गणना के लिए स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

(i) **खुदरा जमाराशियां:** किसी नैसर्गिक व्यक्ति द्वारा किसी बैंक में रखी गई विदेशी मुद्रा जमाराशियों सहित सभी मांग और मीयादी जमाराशियां (परिपक्वता पर ध्यान न देते हुए)। तथापि, भारी (bulk) अर्थात् 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की जमाराशियां, जिनमें 'रुपया मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें और अवधिपूर्व आहरण' पर 24 जनवरी 2013 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 74/ 13.03.00/2012-13 के अनुसार बैंकों ने अवधिपूर्व आहरण की अनुमति न देने का निर्णय लिया है, 30 दिन से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाली बड़ी जमाराशियों को शामिल न किया जाए।

(ii) **टिकाऊ जमाराशियां:** ये कारोबारी (transactional) खातों में बीमाकृत जमाराशियां (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा कवर की गई सीमा तक) हैं, जिनमें वेतन/पेंशन अपने आप जमा किए जाते हैं या अदा किए जाते हैं या संबंध आधारित खाते (उदाहरणार्थ जमा खाते के ग्राहक का बैंक के साथ अन्य संबंध भी है, जैसे ऋण)।

(iii) **कम टिकाऊ खाते:** टिकाऊ खातों से इतर।

(iv) **बेजमानती थोक निधीयन:** एलसीआर में शामिल किए गए थोक निधीयन को अ-नैसर्गिक व्यक्तियों, अर्थात् विधिक संस्थाओं द्वारा सभी निधीयन, जिसे एलसीआर की 30 दिन की सीमा के भीतर क्रय (call) किया जा सकता है अथवा जिसकी शीघ्रतम संभव संविदात्मक परिपक्वता तारीख इस सीमा के भीतर स्थित है (जैसे परिपक्व होने वाली मीयादी जमाराशियां तथा गैर-जमानती ऋण प्रतिभूतियां) और साथ ही, अनिश्चित परिपक्वता वाले निधीयन के रूप में परिभाषित किया गया है।

(v) **छोटे कारोबारी ग्राहक:** जैसा कि बासल III पूंजी विनियमावली पर दिनांक 01 जुलाई 2013 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.9.3(i) में परिभाषित किया गया है, अर्थात् जहां कुल औसत वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से कम है, बशर्ते ऐसे किसी छोटे कारोबारी ग्राहक से कुल सकल निधीयन 50 करोड़ रुपये से कम हो। 'सकल निधीयन' का आशय है सभी प्रकार के निधीयन (जैसे जमाराशियां या ऋण प्रतिभूतियां या इसी प्रकार के व्युत्पन्नी एक्सपोजर, जिनके लिए प्रतिपक्षकार को छोटे कारोबारी ग्राहक के रूप में जाना जाता है) सकल (gross) राशि (अर्थात् विधिक हस्ती को प्रदत्त किसी प्रकार के ऋण की नेटिंग (निवल) न करना।

(vi) **परिचालनगत जमाराशियां:** समाशोधन, अभिरक्षा या नकद प्रबंध कार्यकलापों से उत्पन्न पात्र परिचालनगत जमाराशियां और:

- ये जमाराशियां बैंकिंग संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गई अंतर्निहित/आधारभूत सेवाओं के गौण उत्पादन (by-product) हैं और ब्याज से आय के प्रस्ताव के एकमात्र उद्देश्य से थोक बाजार में तलाशी गई जमाराशियां नहीं हैं।
- ये जमाराशियां विनिर्दिष्ट रूप से नामित खातों में धारण की जाती हैं तथा ग्राहक को कोई आर्थिक प्रोत्साहन दिए बिना (बाजार दर पर ब्याज अदा करने तक सीमित नहीं) मूल्यन किया जाता है, ताकि इन खातों में कोई अतिरिक्त राशि नहीं छोड़ी जाती।

(vii) **प्रतिभूत निधीयन:** 'प्रतिभूत निधीयन' को ऐसी देयताओं और सामान्य दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है जो उधारकर्ता संस्था की विनिर्दिष्ट रूप से नामित आस्तियों के विधिक अधिकारों द्वारा संपार्श्विकृत हैं। 'नकद बहिर्प्रवाह' की गणना के लिए इसमें 30 कैलेंडर दिन की दबाव सीमा के भीतर परिपक्वता वाले सभी बकाया प्रतिभूत निधीयन लेनदेनों को शामिल किया जाता है। बहिर्प्रवाह की राशि की गणना लेनदेनों के माध्यम से जुटाई गई निधियों की राशि के आधार पर की जाती है, न कि अंतर्निहित संपार्श्विक के मूल्य के आधार पर।

(viii) **व्युत्पन्नी नकद बहिर्प्रवाह:** बैंकों को अपनी मौजूदा मूल्यांकन पद्धति नकद अंतर्प्रवाहों और बहिर्प्रवाहों की गणना करनी चाहिए। केवल ऐसे मामलों में, जहां वैध मास्टर नेटिंग करार अस्तित्व में है, नकद प्रवाहों की गणना प्रतिपक्षकार द्वारा निवल आधार पर (अर्थात् अंतर्प्रवाह बहिर्प्रवाहों का समंजन कर सकते हैं) की जा सकती है। बैंकों को ऐसी गणनाओं में उन चलनिधि अपेक्षाओं को शामिल नहीं करना चाहिए जो बाजार मूल्य गतिविधियों के कारण बड़ी हुई संपार्श्विक आवश्यकताओं अथवा दर्ज संपार्श्विक के मूल्य में गिरावट के परिणामस्वरूप हैं। जब ऑप्शन क्रेता के लिए वे 'इन द मनी' हों, तब ऑप्शन का प्रयोग किया गया मान लेना चाहिए। यदि बैंक एक बार प्राप्त संपार्श्विक को नए नकद जुटाने वाले लेनदेनों में पुनः प्रयोग करने के लिए कानूनी रूप से पात्र और परिचालनगत रूप से समर्थ है, तो अन्य सभी बातों के समान रहते हुए बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नकद या संपार्श्विक दायित्वों के परिणाम से किसी तदनु रूप नकद या संपार्श्विक अंतर्प्रवाहों के निवल से नकद बहिर्प्रवाहों की गणना करनी चाहिए, जहां व्युत्पन्नी भुगतान एचक्यूएलए द्वारा संपार्श्विक किए गए हों।

(ix) लेनदेनों, व्युत्पन्नी और अन्य संविदाओं के निधीयन में सन्निहित डाउनग्रेड ट्रिगर्स से संबंधित बढ़ी हुई चलनिधि आवश्यकताएं: अक्सर व्युत्पन्नी और अन्य लेनदेनों को शासित करने वाली संविदाओं में ऐसी शर्तें होती हैं, जिसमें प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग संगठन द्वारा बैंक का दर्जा घटाने पर अतिरिक्त संपार्श्विक की व्यवस्था आकस्मिक सुविधाएं घटाना, या मौजूदा देयताओं की शीघ्र चुकौती अपेक्षित होती है। अतएव इस परिदृश्य में यह अपेक्षित है कि ऐसी प्रत्येक संविदा में जहां 'डाउनग्रेड ट्रिगर' अस्तित्व में है, बैंक यह मानता है कि बैंक की दीर्घावधिक क्रेडिट रेटिंग में 3 स्तर (notch) तक और शामिल करते हुए गिरावट सहित किसी भी गिरावट के लिए इस अतिरिक्त संपार्श्विक अथवा नकद बहिर्प्रवाह की 100% व्यवस्था (posted) करनी होगी।

(x) व्युत्पन्नी और अन्य लेनदेनों की रक्षा हेतु पोस्टेड संपार्श्विक पर मूल्यन परिवर्तन की संभावना से संबंधित बढ़ी हुई चलनिधि आवश्यकताएं: व्युत्पन्नी लेनदेनों के अधिकतर प्रतिपक्षकारों से विशिष्ट रूप से अपनी पोजीशन के बाजार दर पर मूल्यन प्राप्त करना अपेक्षित होता है और यह मुख्यतः नकद या सरकारी प्रतिभूतियां आदि जैसी स्तर 1 प्रतिभूतियों का प्रयोग करके किया जाता है। तथापि, यदि प्रतिपक्षकार उन प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर संभावित हानि को पूरा करने के लिए स्तर 1 प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य संपार्श्विक के साथ बाजार दर पर एक्सपोजर सुरक्षित करना चाहते हैं तो ऐसे संपार्श्विकों को 'नकद बहिर्प्रवाह' के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन से संपार्श्विक श्रेणी पर लागू कोई अन्य हेयरकट लगाने के बाद संपार्श्विक के रूप में दर्ज करने हेतु अपेक्षित काल्पनिक राशि पर 20% की रन-ऑफ दर लगाई जानी चाहिए।

(xi) व्युत्पन्नी या अन्य लेनदेनों पर बाजार मूल्य परिवर्तन से संबंधित बढ़ी हुई चलनिधि आवश्यकताएं: चूंकि बाजार व्यवहार में व्युत्पन्नी और अन्य लेनदेनों के बाजार दर पर एक्सपोजर का संपार्श्विकरण अपेक्षित है, अतः बैंकों को इन मूल्यन परिवर्तन एक्सपोजरों के लिए बहुत अधिक चलनिधि जोखिम का सामना करना पड़ता है। एक ही मास्टर नेटिंग करार के अंतर्गत निष्पादित अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह लेनदेनों को निवल आधार पर माना जा सकता है। बाजार मूल्यन परिवर्तनों से संबंधित वृद्धिगत आवश्यकता के कारण उत्पन्न किसी बहिर्प्रवाह को उस एलसीआर में शामिल किया जाना चाहिए, जिसकी गणना पिछले 24 माह के दौरान वसूल किए गए सबसे बड़े पूर्ण निवल 30 दिन संपार्श्विक प्रवाह की पहचान करके की गई है। पूर्ण निवल संपार्श्विक प्रवाह वसूल किए गए अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह, दोनों पर आधारित है।

(xii) आस्ति-समर्थित वाणिज्यिक पेपर, प्रतिभूति निवेश मध्यम और ऐसी अन्य वित्तीय सुविधाओं में निधीयन की हानि: जिन बैंकों के पास संरचित वित्तीय सुविधाएं, जिसमें

अल्पकालिक ऋण लिखत, जैसे आस्ति समर्थित वाणिज्यिक पेपर जारी करना शामिल हैं। उन्हें इन संरचनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित चलनिधि जोखिमों पर पूर्ण विचार करना चाहिए। इन जोखिमों में (i) परिपक्व होने वाले ऋणों के पुनर्वित्त में असमर्थता तथा (ii) ऐसे व्युत्पन्नी अथवा व्युत्पन्नी सदृश्य घटकों (सन्निहित विकल्पों) का अस्तित्व जो संरचना संबंधी प्रलेखीकरण में संविदात्मक रूप से लिखित हैं, जिनमें किसी वित्तीय करार में आस्तियों के प्रतिफल की अनुमति दी जाती है अथवा जिसमें मूल आस्ति अंतरणकर्ता द्वारा चलनिधि उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है, जो 30 दिन की अवधि में वित्तीय करार ('चलनिधि विक्रय') को प्रभावी रूप से समाप्त करता है। जहां बैंक के संरचित वित्तीय कार्यकलापों को एक विशेष प्रयोजन हस्ती (जैसे विशेष प्रयोजन माध्यम या संरचित निवेश माध्यम - एसआईवी) के माध्यम से किया जात है, बैंक को एचक्यूएलए अपेक्षाओं का निर्धारण करते समय उस हस्ती द्वारा जारी किए गए ऋण लिखतों की परिपक्वता तथा वित्तीय करारों में किन्हीं सन्निहित विकल्पों के माध्यम से यह देखना चाहिए कि वे आस्तियों के 'प्रतिफल' अथवा चलनिधि की आवश्यकता की संभावित शुरुआत तो नहीं करते, इस पर विचार किए बिना कि एसपीवी समेकित है या नहीं।

बीएलआर-2				
निधि संकेंद्रीकरण की विवरणी				
बैंक का नाम				
रिपोर्टिंग की अवधि		मासिक		
माह के लिए विवरण				
भाग क	काउंटरपार्टी के आधार पर निधि संकेंद्रीकरण			
क1	महत्वपूर्ण काउंटरपार्टी ⁴ - जमाराशियां और उधार			
क1.1	महत्वपूर्ण काउंटरपार्टी - जमाराशियां			
क्र. सं.	काउंटरपार्टी का नाम	राशि (करोड़ रुपयों में)	कुल जमाराशि का %	कुल देयताओं का %
1				
2				

एन				
क1.2	महत्वपूर्ण काउंटरपार्टी - उधार			
क्र. सं.	काउंटरपार्टी का नाम	राशि	कुल जमाराशि	कुल देयताओं

⁴ "महत्वपूर्ण काउंटरपार्टी" को एकल काउंटरपार्टी या जुड़ी हुई या संबद्ध काउंटरपार्टियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका लेखांकन बैंकों की कुल देनदारियों के 1% से अधिक है।

		(करोड़ रुपयों में)	का %	का %
1				
2				

एन				
क2	20 शीर्ष बड़ी जमाराशियां			
क्र. सं.	जमाकर्ता का नाम	जमाराशियों का प्रकार	राशि (करोड़ रुपये में)	कुल जमाराशियों का %
1		बचत		
		चालू		
		मीयादी		
		जोड़		

20		बचत		
		चालू		
		मीयादी		
		जोड़		
	जोड़			
क3	10 शीर्ष उधार			
क्र. सं.	काउंटरपार्टी का नाम		राशि (करोड़ रुपयों में)	कुल उधार का %
1				

10				
	जोड़			
भाग ख	लिखत/उत्पाद के आधार पर निधि संकेंद्रीकरण			
ख1	महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद ⁵			
क्र. सं.	साधन/उत्पादन का नाम		राशि	कुल देयताओं

⁵ महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को उसी प्रकार के लिखत/उत्पाद समूह के एकल लिखत/उत्पाद के रूप में परिभाषित किया है जिसकी समय राशि बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक होगी। लिखत/उत्पाद के वित्तपोषण का उदाहरण - थोक जमाराशियां, जमा प्रमाण पत्र, दीर्घावधि बांड आदि।

		(करोड़ रुपयों में)	का %
1			
2			
--			
	जोड़		
ख2	प्रतिभूतिकरण के माध्यम से निधीयन स्रोतों का विवरण		
क्र. सं.	ब्योरे	राशि (करोड़ रुपयों में)	कुल देयताओं का %
1			
2			
--			
	जोड़		

टिप्पणी: इस विवरण को घरेलू और विदेशी परिचालन के लिए अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। विदेशी परिचालन के मामले में रिपोर्टिंग अधिकार क्षेत्र में किया जा सकता है।

बीएलआर-3					
उपलब्ध भार-रहित आस्तियों का विवरण⁶					
बैंक का नाम					
रिपोर्टिंग अवधि			तिमाही		
तिमाही का विवरण					
उपलब्ध भार-रहित आस्तियां जो द्वितीय बाजार में जमानत के रूप में बिक्रीयोग्य हैं तथा/या केंद्रीय बैंक की स्टैंडिंग सुविधाओं के लिए पात्र हैं					
1	2	3	4	5	6
क्र. सं.	मूल्य (करोड़ रुपए में)	आस्ति का प्रकार	स्थान	द्वितीयक बाजार द्वारा अपेक्षित अनुमानित हेयरकट (करोड़ रुपए में)	संपार्श्विक का अपेक्षित मुद्रीकृत मूल्य (करोड़ रुपए में)

⁶ मार्क टू मार्केट निवेश की स्थिति में बाजार मूल्य दर्शाया जाए। अन्यथा बही मूल्य दर्शाएं।

1					
2					
- -					
एन					
उपलब्ध भार रहित आस्तियां जो द्वितीय बाजार में संपार्श्विक के रूप में बिक्रीयोग्य हैं तथा/या महत्वपूर्ण मुद्रा ⁷ द्वारा केंद्रीय बैंक की स्टैंडिंग सुविधा के लिए पात्र हैं					
क्र. सं.	आस्ति का प्रकार	मूल्य (करोड़ रुपए में)	स्थान	द्वितीयक बाजार द्वारा अपेक्षित अनुमानित हेयरकट (करोड़ रुपए में)	संपार्श्विक का अपेक्षित मुद्रीकृत मूल्य (करोड़ रुपए में)
1					
2					
- -					
एन					

बीएलआर-4			
महत्वपूर्ण मुद्रा द्वारा चलनिधि कवरेज अनुपात पर विवरण			
मुद्रा को "महत्वपूर्ण" माना जाएगा, यदि उस मुद्रा में अंकित सकल देयताओं की राशि बैंक की कुल देयताओं के 5 प्रतिशत या उससे अधिक है - इस विवरण में आकस्मिक देयताओं सहित केवल उन आस्तियों तथा देयताओं को शामिल किया जाए जिसे विशिष्ट "महत्वपूर्ण" विदेशी मुद्रा में अंकित किया गया है। यह अनुपात तैयार करने के लिए एचक्यूएल, हेयरकट, समायोजन, नकद बहिर्प्रवाह और अंतर्प्रवाह मदों के प्रकार तथा उनके रन-ऑफ दर आईएनआर में एलसीआर की तरह एक समान होंगे।			
बैंक का नाम			
रिपोर्टिंग अवधि		मासिक	
के अनुसार स्थिति			
		(राशि मिलियन विदेशी मुद्रा में)	
पैनल I - एचक्यूएलए का विवरण		भार रहित	भार
1	कुल स्तर 1 आस्तियां		

⁷ मुद्रा को "महत्वपूर्ण" माना जाएगा, यदि उपलब्ध भार-रहित का समग्र स्टॉक

2	कुल समायोजित स्तर 1 आस्तियां		
3	कुल स्तर 2 क आस्तियां		
4	कुल समायोजित स्तर 2 क आस्तियां		
5	कुल स्तर 2 ख आस्तियां		
6	एचक्यूएलए का कुल स्टॉक		
	पैनल 2 - 30 दिन की अवधि में निवल नकद प्रवाह		
क	कुल नकद प्रवाह		
ख	कुल नकद अंतर्प्रवाह		
ग	कुल नकद बहिर्प्रवाह में से कुल नकद अंतर्प्रवाह घटाएं [क- ख]		
घ	कुल नकद बहिर्प्रवाह का 25% [क*0.25]		
	कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह [ग या घ में से उच्चतर]		
विदेशी मुद्रा चलनिधि कवरेज अनुपात =			
विदेशी मुद्रा में एचक्यूएलए का कुल स्टॉक (पैनल 1 की मद 6) *100			
संदर्भित मुद्रा में 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह (पैनल 2 में मद घ)			

बीएलआर-5	
चलनिधि पर 'अन्य सूचना' पर विवरण	
बैंक का नाम	
रिपोर्टिंग अवधि	
माह के लिए विवरण	

भाग 1						
क		समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ईक्विटी शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव				
कंपनी	अंकित मूल्य	पहले कारोबारी दिन में खुला भाव	माह और तारीख का उच्चतम मूल्य	माह और तारीख का निम्नतम मूल्य	अंतिम कारोबार दिवस पर बंद मूल्य	माह के दौरान मूल्य में उतार-चढ़ाव (स्टैंडर्ड डेविएशन) (%)

1						
2						
--						

ख	बैंक द्वारा जारी गैर-इक्विटी, ऋण तथा मुद्रा बाजार लिखतों की कीमतों में उतार-चढ़ाव										
क्र. सं.	लिखत का प्रकार	अंकित मूल्य	जारी करने की तारीख	बकाया राशि	परिपक्वता की तारीख	जारी करते समय कूपन/छूट (%)	माह के दौरान मूल्य				
							प्रारंभ	उच्च	निम्न	बंद	

भाग II				
विनियामक चलनिधि अपेक्षाओं के उल्लंघन/दंड से संबंधित जानकारी				
क. देशी विनियामक चलनिधि अपेक्षाओं (सीआरआर तथा एसएलआर) का उल्लंघन/ दंड				
उल्लंघन करने और जुर्माना लगाने, यदि कोई हों, के ब्योरे (रुपयों में)	उल्लंघन करने की तारीख	उल्लंघन की राशि (रुपयों में)	बैंक द्वारा शुरू की गई कार्रवाई	
ख. विदेशी शाखाओं के लिए देशी विनियामक चलनिधि अपेक्षाओं (सीआरआर तथा एसएलआर) का उल्लंघन/ दंड - कृपया विनियामक अपेक्षाओं के ब्योरे दें				
शाखा और क्षेत्राधिकार का नाम	उल्लंघन करने और जुर्माना लगाने, यदि कोई हों, के ब्योरे (विदेशी मुद्रा में)	उल्लंघन करने की तारीख	उल्लंघन की राशि (विदेशी मुद्रा में)	बैंक द्वारा शुरू की गई कार्रवाई

<p>ग. चलनिधि के संबंध में या बैंक को जिसके कारण चलनिधि समस्या हो सकती है ऐसे मामलों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशी विनियामक/पर्यवेक्षक द्वारा जारी प्रतिकूल टिप्पणियों/अप्रसन्नता व्यक्त करने वाले पत्र का विवरण</p>			

एलसीआर प्रकटीकरण टेम्पलेट			
(करोड़ रुपयों में)		कुल भार-रहित ⁸ मूल्य (औसत)	कुल भार मूल्य ⁹ (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)		
नकद बहिर्प्रवाह			
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे व्यवसायी ग्राहकों से जमाराशियां, जिनमें से:		
(i)	टिकाऊ जमाराशियां		
(ii)	कम टिकाऊ जमाराशियां		
3	गैर-जमानती थोक निधीयन, जिसमें से		
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)		
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)		
(iii)	गैर-जमानती ऋण		
4	प्रतिभूत थोक निधीयन		
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से		
(i)	व्युत्पन्नी एक्सपोजर से संबंधित बहिर्प्रवाह तथा अन्य संपार्श्विक अपेक्षाएं		
(ii)	ऋण उत्पादों के निधीयन की हानियों से संबंधित बहिर्प्रवाह ऋण और चलनिधि सुविधाएं		
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं		
6	अन्य संविदात्मक निधीयन दायित्व		
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व		
8	कुल नकद बहिर्प्रवाह		
नकद अंतर्प्रवाह			
9	जमानती ऋण देना (अर्थात् रिवर्स रेपो)		
10	पूर्णतः कार्यनिष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह		
11	अन्य नकद अंतर्प्रवाह		
12	कुल नकद अंतर्प्रवाह		
			कुल

⁸ जहां परिपत्र और एलसीआर टेम्पलेट में अन्यथा उल्लिखित है, उसे छोड़ कर अभांरित मूल्यों की गणना (अंतर्प्रवाहों और बहिर्प्रवाहों के लिए) 30 दिनों के भीतर परिपक्व या प्रतिदेय होने वाले बकाया शेषों के रूप में की जानी चाहिए।

⁹ भांरित मूल्यों की गणना संबंधित हेयरकट (एचक्यूएलए के लिए) या अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह दरें (अंतर्प्रवाहों और बहिर्प्रवाहों के लिए) लगाने के बाद की जानी चाहिए।

			समायोजित ¹⁰ मूल्य
21	कुल एचक्यूएलए		
22	कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह		
23	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		

नोट - आंकड़े केवल काले और भूरे खानों में प्रविष्ट किए जाने हैं।

¹⁰ समायोजित मूल्यों की गणना (i) हेयरकट और अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह दरों तथा (ii) किन्हीं लागू अधिकतम सीमाओं (जैसे एचक्यूएलए के लिए स्तर 2बी और स्तर 2 आस्तियों पर अधिकतम सीमा तथा अंतर्प्रवाहों पर अधिकतम सीमा) लगाने के बाद की जानी चाहिए।